राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.12(1) आयो.–1/सां./2019 जयपुर, दिनांकः 10 JAN 2019

कार्यालय आदेश

कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग के पत्र क्रमांक प. 13(51) का/क–1/गो.प्र./2015 दिनांक 28.12.2018 द्वारा उनके पूर्व परिपत्र दिनांक 07.06.2000, 09.04.2015 एवं 08.05.2017 का संदर्भ देते हुए निर्देशित किया गया है कि विभिन्न विभागों के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र संबधित प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा लिखा जाकर जिला कलेक्टर को अपनी टिप्पणी अंकित करने हेतु प्रस्तुत किया जाये, तत्पश्चात् जिला कलेक्टर द्वारा समीक्षक अधिकारी को भिजवाया जावे।

अतः आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा तथा मूल्यांकन सेवा के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उचित प्रपत्र में भर कर संबंधित जिला कलेक्टर की टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित करवाया जाना सुनिश्चित करावें। भविष्य में बिना जिला कलेक्टर की टिप्पणी के अंकन के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किये जावेगें।

आज्ञा से

(अभिमन्यु कुमार,आई.ए.एस.)
संयुक्त शासन सचिव
आयोजना विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
2. निदेशक, मूल्यांकन संगठन निदेशालय, जयपुर।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आयोजना विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

145